प्रदर्श–"स"

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक/214/वावक/2018 सूरजपुर, दिनांक 06/07/2018

संशोधित प्रमाण पत्र

आवेदक कार्यालय **कार्यपालन अभियंता, (अउदा) निर्माण/संभाग, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. कोरबा** को **सतपता (विश्रामपुर) से कौशलपुर (रामानुजनगर) तक पारेषण लाईन** हेतु जिला सूरजपुर में **सूरजपुर वनमण्डल** अन्तर्गत सलका, पोड़ी, जोबगा, केतका, आमगांव, पटना, चन्द्रिकापुर, रामपुर, दवना, सरईपारा एवं रामानुजनगर ग्राम के वनभूमि व्यपवर्तन हेतु **0.687 हे. वनभूमि** एवं **4.253 हे. राजस्व वनभूमि** के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं परपंरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 मे नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र **सतपता (विश्रामपुर) से कौशलपुर (रामानुजनगर) तक** की **वनभूमि (संरक्षित– 0.687 हे.)** एवं **राजस्व वन भूमि 4.253 हे.** कुल रकबा **4.94 हे.** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम **सलका, पोंड़ी, जोबगा, केतका, आमगांव, पटना, चंद्रिकापुर, रामपुर, दवना, सरईपारा, रामानुजनगर तहसील सूरजपुर एवं रामानुजनगर** में स्थित हैं, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही हैं।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	रकबा(हे.में)
1	सलका	निरंक	निरंक
2	पोंडी	निरंक	निरंक
3	जोबगा	निरंक	निरंक
4	केतका	निरंक	निरंक
5	आमगांव	निरंक	निरंक
6	पटना	निरंक	निरंक
7	**चंद्रिकापुर**	**1. मोती आ. सपूरन जाति गोंड़** **2. साधारण आ. सपूरन गोड़**	**0.15 हे.** **0.32 हे.**
8	रामपुर	निरंक	निरंक
9	दवना	निरंक	निरंक
10	सरईपारा	निरंक	निरंक
11	रामानुजनगर	निरंक	निरंक

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(के.सी.देवसेनापति)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला–सूरजपुर